



प्रासप 2 (नियम 11(4) देखिए)

अनुमति क्रमांक: 76898

कार्यालय शिक्षा अधिकारी (गवालियर), मध्यप्रदेश

स्कूल: AMITY INTERNATIONAL SCHOOL

मान्यता का प्रकार: नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक: 20/05/2020

सत्र - 2020-21

पति:

प्रासप (AMITY INTERNATIONAL SCHOOL)

विषय: शिक्षक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकांश अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत के लिए शिक्षक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

संबोधन: महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 15/02/2020 तथा इस संबंध में स्कूल से पर्यवेक्षण पर उपस्थित, निरीक्षण के सत्रों में मैं आपकी स्कूल - AMITY INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा कोड - 23040518823 स्कूल क्रमांक PS 76898 को जका Number से 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2023 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा सत्र 8 से आगे की मान्यता संबंधित की कोई बाधना किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल शिक्षक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा शिक्षक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पढ़ाई की सीमा के अंदर समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को सत्र 1 से अनुसूचक 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बच्चों को उस अनुसूचक में शिक्षक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत वार्षिक आवृत्ति व्यवस्था को पूरा करने हेतु उन प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह अनुदान पत्रों पर प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (पी स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 के उपबंध (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंधों के अंतर्गत प्रवेश के लिए समूह होगा।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार तय की प्रतिपूर्ति की जाती तथा यदि प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में विफलता हो तो स्कूल को उपबंधों के अंतर्गत प्रवेश देना होगा।
- संसद/स्कूल बोर्डों की नियुक्ति पर ध्यान देना होगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा -

- (क) आयु के स्कूल के अंतर्गत में
- (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पर्यवेक्षण देना प्रवेश चाहा गया है।
- (ग) धर्म, जाति या मूलभूत अन्तर्भाव या इनमें से किसी भी आधार पर

- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
 - किसी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी अन्य या निम्नलिखित नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - नियम 19 के अधीन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सहायता किया जाएगा।
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित अनुसूचक बच्चों के अंतर्गत प्रवेशों कि अन्य कि: जातों व वर्गों कि प्रतिशत के अंतर्गत जो शिक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत होने पर अनुसूचक अंतर्गत नहीं रहते हैं, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत होने का दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित अनुसूचक अंतर्गत प्राप्त करने होगी।

Signature valid

Digitally signed by KASH CHANDRA JOSHI Date: 2020.07.27 13:19:39 IST Reason: Digitally Signed Location: N/A

- शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन नियुक्ति करने वाली का पालन करना होगा।
- प्रत्येक टीचिंग कि नॉन-टीचिंग को शिक्षक स्तर माना नहीं जाएगा।
- स्कूल समूचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपबंध सुविधा के अनुसार से स्कूल में बच्चों का सहायक विभाग जाएगा।
- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट स्कूल के बालक एवं सहायक बच्चे प्रवेश देंगे। अंतर्गत निरीक्षण के समय स्कूल में उपबंध सुविधा निम्नानुसार पाठ रहे।

PRINCIPAL AMITY INTERNATIONAL SCHOOL AIRPORT ROAD, MAHARAJPURA GWALIOR-474020

MANAGER AMITY INTERNATIONAL SCHOOL AIRPORT ROAD, MAHARAJPURA GWALIOR-474020

PRINCIPAL AMITY INTERNATIONAL SCHOOL AIRPORT ROAD, MAHARAJPURA GWALIOR-474020